पढ़ो परदेस योजना के संबंध में प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

<u>क: बैंकों के लिए</u>

1. क्या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए ऋणों के संदर्भ में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए संवितरण पात्र होंगे?

उत्तर: जी नहीं, वर्ष 2013-14 से आगे स्वीकृत एवं संवितरित ऋण ही ब्याज इमदाद के लिए पात्र होंगे|

2. यदि छात्र ने स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए सीएसआईएस योजना सहित अन्य किसी योजना के अधीन इमदाद प्राप्त की है तो क्या वह इस योजना के लिए पात्र होगा/होगी?

उत्तर: इस योजना के अधीन (ब्याज इमदाद की तरह) छात्र स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम/मास्टर्स, एम.फिल, पी.एचडी के अध्ययन के लिए पात्र होगा| इसके अतिरिक्त, वे छात्र जिन्होने भारत में एम.टेक की शिक्षा पूर्ण की है लेकिन अब विदेश में एमबीए कर रहे हैं और जिन्होंने एम.टेक पाठ्यक्रम के लिए सीएसआईएस/राज्य आर्थिक सहायता योजना के अधीन इमदाद प्राप्त की है, वे भी इस योजना के पात्र है|

3. क्या सभी पात्र आवेदकों के लिए ब्याज इमदाद की गारंटी है?

उत्तर: जी नहीं, ब्याज इमदाद की सभी पात्र आवेदकों के लिए गारंटी नहीं हैं| तथापि, सभी पात्र आवेदकों को संभव ब्याज इमदाद उपलब्ध कराने की मंत्रालय की कोशिश होगी|

4. आईबीए की मॉडल योजना के अनुसार, विदेश में अध्ययन के लिए अधिकतम ऋण 20 लाख रु0 है| क्या 20 लाख रु0 से अधिक की संवितरित ऋण राशि के लिए ब्याज इमदाद स्वीकार्य है?

उत्तर: फिलहाल, इमदाद आईबीए मॉडल योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा अर्थात केवल 20 लाख रु0 तक सीमित है|

5. क्या नवीनतम आय प्रमाण-पत्र ही प्राप्त किया जाए अथवा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान / ऋण प्राप्त करने के समय लिया गया प्रमाण-पत्र लिया जा सकता है?

उत्तर: ऋण प्राप्त करने के समय लिया गया प्रमाण-पत्र ही काफी होगा|

6. क्या छात्र के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कोई प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है अथवा ऋण संबंधी आवेदन में केवल घोषणा को ही प्रमाण के तौर पर लिया जाएगा?

उत्तर: जी हां, इस संबंध में स्व-घोषणा ही काफी है|

7. ब्याज इमदाद हेतु पात्रता के लिए योजना ने 'मेधावी' घटक क्या है?

उत्तर: जिन्होंने विदेश में प्रवेश प्राप्त किया है और जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत मेधावी माना जाएगा|

8. यदि अल्पसंख्यक छात्र द्वारा लिया गया पाठ्यक्रम आंशिक रूप से भारत में तथा आंशिक रूप से विदेश में है, तो क्या वह ब्याज इमदाद के लिए पात्र होगा?

उत्तर: यदि डिग्री विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे छात्र ब्याज इमदाद के पात्र होंगे|

****